

निर्देश

1. राजपत्र में केवल नाम एवं उपनाम त्रुटी संबंधी प्रकाशन किया जाता है। धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्मतिथि त्रुटी सुधार संबंधी प्रकाशन नहीं किया जाता।
2. रुपये 430/- (रुपये चार सौ) मात्र का चालान भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में निम्नांकित हेड में जमा कर चालान आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
0058 – मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
102 – राजपत्र आदि के प्रकाशन, एवं अन्य प्राप्तियां
3. 50 रु का नॉन ज्युडिसियल स्टाम पेपर आगे एवं पीछे दोनो पृष्ठों को अपलोड करेंगे।
4. 50 रु का नॉन ज्युडिसियल स्टाम पेपर में अंकित युनिक कोड/नम्बर को आवेदन करते समय अंकित किया जावे।
5. नाम परिवर्तन संबंधी विज्ञापन cg.nic.in/Egazette के माध्यम से भी साधारण राजपत्र के भाग 3(1) से प्राप्त किया जा सकता है।